	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 04, बुधवार, शाके 1948- अगस्त 26, 2026 Bhadra 04, Wednesday, Saka 1948- August 26, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 08, 2026

संख्या प.2 (11) वन/2026:- चुँकि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व/अधिकार है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी है,

और चुँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 उपधारा (1) के अंतर्गत रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चुँकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेख बद्ध नही किये गये है,

और चुँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जाँच किया जाना तथा उन्हे लेख बद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चुँकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है,

इसलिए अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जाँच करके उन्हे लेख बद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जाँच, साक्ष्य तथा अभिलेखन उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(2), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावधान है,

और उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जाँच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नही होगी और न उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन क्षैत्र के वे वृक्ष जो इसके साथ सलंग्न द्वितिय अनुसूचि में अंकित किये गये है, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित हो जायेगे और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया

जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंड़ित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितिय अनुसूची (आरक्षित किये गये वृक्षों की सूची)

राज्यपाल की आज्ञा से

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव ,वन

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

क्र सं	नाम वनखण्ड	ग्राम/चक का नाम	नाम तहसील	नाम जिला	विवरण				
					दिशावार सीमा विवरण	मुरब्बा संख्या	कि. न.	भूमि विवरण	
								रकबा है. में	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आबादी नर्सरी 1 केजेडी	1केजेडी(ए)	खाजूवाला	बीकानेर	उत्तर दिशा में काश्तकार दक्षिण दिशा में गैर मुम्मकिन आबादी पूर्व दिशा में काश्तकार पश्चिम दिशा में काश्तकार	80/50	1	0.2276	कमाण्ड
						80/50	1	0.0253	खाला(कमाण्ड)
						80/50	2	0.2276	कमाण्ड
						80/50	2	0.0253	खाला(कमाण्ड)
						80/50	3	0.2276	कमाण्ड
						80/50	3	0.0253	खाला(कमाण्ड)
						80/50	4	0.2276	कमाण्ड
						80/50	4	0.0253	खाला(कमाण्ड)
						80/50	5	0.2276	कमाण्ड
						80/50	5	0.0253	खाला(कमाण्ड)
						80/50	6	0.2529	कमाण्ड
						80/50	7	0.2529	कमाण्ड
						80/50	8	0.2529	कमाण्ड
						80/50	9	0.2529	कमाण्ड

						80/50	10	0.2529	कमाण्ड
						80/50	11	0.2529	कमाण्ड
						80/50	12	0.2529	कमाण्ड
						80/50	13	0.2529	कमाण्ड
						80/50	14	0.2529	कमाण्ड
						80/50	15	0.2529	कमाण्ड
						80/50	16	0.2529	कमाण्ड
						80/50	17	0.2529	कमाण्ड
						80/50	18	0.2529	कमाण्ड
						80/50	19	0.2529	कमाण्ड
						80/50	20	0.2529	कमाण्ड
						80/50	21	0.2529	कमाण्ड
						80/50	22	0.2529	कमाण्ड
						80/50	23	0.2529	कमाण्ड
					योग			**5.6902**	कमाण्ड
								0.1265	खाला(कमाण्ड)
					कुल किला नंबर 23			**5.8167**	
						80/51	1	0.2529	कमाण्ड

						80/51	2	0.2529	कमाण्ड
						80/51	3	0.2529	कमाण्ड
						80/51	6	0.2529	कमाण्ड
						80/51	7	0.2529	कमाण्ड
						80/51	8	0.2529	कमाण्ड
						80/51	9	0.2529	कमाण्ड
						80/51	10	0.2529	कमाण्ड
						80/51	11	0.2529	कमाण्ड
						80/51	12	0.2529	कमाण्ड
						80/51	13	0.2529	कमाण्ड
						80/51	14	0.2529	कमाण्ड
						80/51	15	0.2529	कमाण्ड
						80/51	16	0.2529	कमाण्ड
						80/51	17	0.2529	कमाण्ड
						80/51	18	0.2529	कमाण्ड
						80/51	19	0.2529	कमाण्ड
						80/51	20	0.2529	कमाण्ड
						80/51	21/2	0.2023	कमाण्ड
						80/51	22/1	0.202	कमाण्ड

								3	
						80/51	23/1	0.2023	कमाण्ड
						80/51	24/1	0.2023	कमाण्ड
						80/51	25/1	0.2023	कमाण्ड
					कुल किला नंबर 23			**5.5637**	कमाण्ड
					ब्लाक आबादी नर्सरी 1 केजेडी का कुल किला नंबर			**0.1265**	खाला(कमाण्ड)
					महायोग 46			**11.2539**	कमाण्ड
								11.3804	

रविन्द्र सिंह
क्षैत्रीय वन अधिकारी
61 RD KYD

दिलीप सिंह राठौड़
उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प.स्टेज-A
छत्तरगढ

द्‌वितीय अनुसूची(आरक्षित वृक्ष)

क्र.सं.	**नाम प्रजाति (स्थानीय/हिन्दी नाम)**	**नाम प्रजाति(बोटेनिकल नाम)**
1	बंवली	*Acacia jaquemontii*
2	कुमठा	*Acacia senegal*
3	हींगोट	*Balanites aegyptiaca*
4	फोग	*Calligonum polygonoides*
5	धामन	*Grewin asiatica,Royle*
6	खींप	*Leptadenia Reticulata Wight & Arn*
7	खेजड़ी	*Prosopis cineraria*
8	पीलू	*Salvadora Oleoides*
9	जाल	*Salvadora perseca*
10	रोहेड़ा	*Tecomella undulata*
11	बेर	*Zizyphus jujuba Lam*
12	इजराईल बबूल	*Acacia tortalis*
13	अरडू	*Ailanthus ekcesa*
14	खेजड़ी	*Prosopis cineraria*
15	बेर-झाड़ी	*Zizyphus Numularia*
16	कैर	*Caparis aphylla*
17	आक	*Calotripis Procera R. Sr.*
18	सेवन घास	*Lasiuress Sindieus*
19	कंकेडा	*Maytenus Emarginata*
20	घंटिल घास	*Dactylocitinium Aegyptium*
21	घंटिल घास	*Dactylocitinium scindicum*

रविन्द्र सिंह
क्षैत्रीय वन अधिकारी
61 RD KYD

दिलीप सिंह राठौड़
उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प.स्टेज-A
छत्तरगढ

परिशिष्ट-'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

वनखण्ड - आबादी नर्सरी 1 केजेडी

रेंज - 61 RD KYD

वन मण्डल - छत्तरगढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः अनकमाण्ड़/वनविभाग/पूर्ण विभागीय भूमि दर्ज है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग-हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए रूप में दर्ज है। वनखण्ड़ आबादी नर्सरी 1 केजेडी में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 05 से 20 प्रतिशत है । इस वनखण्ड़ में प्रमुख प्रजातियों यथा फोग,खीप,सेवण,बुई का लगभग प्रतिशत 80 प्रतिशत है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र अराजीराज एवं निजी काश्त की भूमि है तथा वन भूमि के चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
5. वनखण्ड़ों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्र की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
6. प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि वनक्षैत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तन आदेश में अधिरोपित की गई शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रारम्भिक प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
7. इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।
8. वनखण्ड़ आबादी नर्सरी 1 केजेडी में राजस्व रिकार्ड के अनुसार मुरब्बा नम्बर 80/51 के किला नम्बर 21/1 22/2 23/2 24/2 25/2 की कुल 0.253 हैक्टेयर भूमि रास्ता कटान में है जो कि नोटीफिकेसन हेतू प्रस्ताव में शामिल नही की गई है परन्तू नक्शे में दर्शाया गया है।

रविन्द्र सिंह
क्षैत्रीय वन अधिकारी
61 RD KYD

दिलीप सिंह राठौड़
उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प.स्टेज-A
छत्तरगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।